



# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(पूर्ववर्ती : कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा)

(कार्यालय : प्रभारी, विश्वविद्यालय अतिथि गृह)



क्रमांक : एफ.19 / वमखुवि / विअगृ / 2013 / 97

दिनांक : 19/6/13

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अतिथि गृह की किराया दरें तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

| क्र. सं. | श्रेणी | अधिकारी (अतिथि) का स्तर   | किराया (प्रति व्यक्ति) (रु.) | मेंटिनेंस व्यय (रु.) | कुल किराया (रु.) |
|----------|--------|---|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1.       | A      | प्रबन्ध मण्डल के सदस्य, वित्त समिति के सदस्य, अकादमी परिषद के सदस्य | 250.00                       | 100.00               | 350.00           |
| 2.       | B      | विश्वविद्यालय कार्य हेतु पधारे अधिकारी / कर्मचारी                   | 300.00                       | 100.00               | 400.00           |
| 3.       | C      | अन्य अतिथि  | 500.00                       | 100.00               | 600.00           |

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी  
विश्वविद्यालय अतिथि गृह

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, व.म.खु.वि, कोटा
2. कुलसचिव, व.म.खु.वि, कोटा
3. वित्त अधिकारी, व.म.खु.वि, कोटा
4. समस्त विभागाध्यक्ष, व.म.खु.वि, कोटा
5. समस्त निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, व.म.खु.वि, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
6. सहायक कुलसचिव, आई.टी. सेल, व.म.खु.वि., कोटा को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लोड करें।
7. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी  
विश्वविद्यालय अतिथि गृह